



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272369
CG-DL-E-08052026-272369

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2180]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/वैशाख 16, 1948

No. 2180]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948

शिक्षा मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2026

का.आ. 2271(अ).— केंद्रीय सरकार निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रित विद्यालय के संबंध में उपयुक्त सरकार होने के कारण, उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के संबंध में अनाथ बच्चों को वंचित समूह से संबंधित बच्चे के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. 1-1/2026-आईएस-3]

धीरज साहू, अपर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2026

S.O. 2271(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government being the appropriate Government, in relation to a school established, owned or controlled by the Central Government or the administrator of the Union territory, having no legislature, under the said Act, hereby notifies the orphan children as a child belonging to disadvantaged group in relation to the Union territory of Andaman and Nicobar Islands, Union territory of Chandigarh, Union territory of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu and Union territory of Lakshadweep, for the purpose of that Act.

[F. No. 1-1/2026-IS-3]

DHEERAJ SAHU, Addl. Secy.